



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

कमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.2/स.अ./स्थाना./2019/3064 जयपुर, दिनांक 20-09-19

आदेश

श्री नटवर लाल मेरावत सहायक अभियन्ता (मनरेगा), आदेशों की प्रतिकक्षा में पंचायती राज मुख्यालय को तत्काल प्रभाव से जिला परिषद टोंक में सहायक अभियन्ता (मनरेगा) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री मेरावत, सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापित जिला परिषद टोंक में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण की सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक के माध्यम से विभाग को भिजवाये। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव  
एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. जिला कलेक्टर, टोंक।
5. मुख्य/अति. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. श्री नटवर लाल मेरावत, सहायक अभियन्ता, को पालनार्थ।
8. निजी/आरक्षी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव  
एवं संयुक्त आयुक्त